Dr. RANJEET KUMAR
Deptt. of History
H.D. Jain college, Ara.

Notes for - M.A. sem - III, unit - IV

Topic - 1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम :-
(Indian Council Act, 1892)

सन् 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और भारतीय जनमानस अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया था। कांग्रेस के नेतृत्व में विधायिका, कार्यपालिका, सरकारी नौकरियों एवं अन्य सेवाओं में अपनी सहभागिता की मांग उठने लगी थी। 1890 ई० में इंग्लैंड के रूढ़िवादी दल की सरकार ने भारत सचिव लार्ड क्रास के सुझाव पर, इन सुझावों के आधार पर लॉर्ड्स सभा में एक विधेयक रखा। यह विधेयक बहुत ही धीमी गति से चलता हुआ। 1892 में संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(i) अधिनियम के अंतर्गत केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियां, कार्य तथा रचना की ही बात कही गई थी।

(ii) केन्द्रीय विधान मंडल के विषय में यह निश्चय हुआ कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम-से-कम 10 हो तथा अधिक-से-अधिक 16 हो, परंतु इसमें सपरिषद् राज्य सचिव की आज्ञा लेनी आवश्यक होगी और उन्हें ही इन अतिरिक्त सदस्यों के मनोनित करने के लिए नियम इत्यादि बनाने होंगे।

(iii) प्रांतीय विधान मंडलों को बम्बई तथा बंगाल में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्यों द्वारा बढ़ा दिया गया। परंतु उत्तर-पश्चिमी प्रांत में अधिकतम सीमा 15 निश्चित की गई।

⟶

→ (iv). केन्द्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर-सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें चारो प्रांतों के प्रांतीय विधान मंडलों के गैर-सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। अन्य 5 गैर-सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनित करता था।

(v). प्रांतीय विधानमंडलों को नगरपालिकाएं, जिलाबोर्ड विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। परंतु निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी।

(vi). इस अधिनियम में बहुत-सी त्रुटियां थी, जिनके कारण भारतीय राष्ट्रवादी इससे असंतुष्ट रहें।

(vii) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक्ट की बार-बार आलोचना की। यह माना गया कि स्थानीय निकायों को चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार का इनके द्वारा मनोनित करना ही है।

(viii). विधान मंडलों की शक्तियां भी बहुत ही सीमित थी। सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार नहीं किया जा सकता था। कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था तथा कुछ को अत्यधिक।

(ix). बम्बई में दो स्थान यूरोपीय व्यापारियों को दिए गए, भारतीय व्यापारियों को एक भी नहीं। दो स्थान सिंध को दे दिए गए; पूना और सतारा को एक भी नहीं।